कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक—571 / FP/UK/ROAD/67235/2021 :देहरादूनः दिनांकः 27 अगस्त, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः— जनपद पिथौरागढ के अंर्तगत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के दोबाट रांथी हल्का वाहन मार्ग के निर्माण हेतु 5.175 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के संबध में।

संदर्भः— भारत सरकार, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पंत्राक—8 बी/यू0सी0पी0/06/119/2021/एफ0सी0/1260, दिनांक—23.12.2021(प्रति संलग्न)

महोदय,

भारत सरकार, के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में आपत्ति लगायी गयी थी, जिसकी निराकाण आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या—564/ 12—1(2) दिनांक—10.08.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक—346/12—1 दिनांक—20.07.2022(प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः—

स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार संलग्न है—

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण आख्या
1	ऑनलाईन पोर्टल के पार्ट—1 पैरा सी पर अपलोड की गयी के0एम0एल0 फाईल पर केवल लाभान्वित होने वाले गांव की स्थिति ही अंकित की गयी है। प्रस्तावित alignment, alternate alignment if any एवं existing road की स्थिति अंकित नहीं की गयी है।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या—564/ 12—1(2) दिनांक—10.08.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक—346/12—1 दिनांक—20.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त मार्ग 3—4 मी0 चौड़ाई में निर्मित है। पूर्व निर्मित मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है। प्रस्तावित alignment में existing road की सही स्थिति अंकित कर दी गयी है एवं alternate alignment की आवश्यकता नहीं है।
2	हांलाकि सीए क्षेत्र DSS analysis उपयुक्त जान पडता है, किन्तु प्रस्तावित सी0ए0 क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई एवं अन्य कारणों को देखते हुये संबधित वनाधिकारी(लगभग 3531 मी0 msl) सी0ए0 हेतु स्थल की उपयुक्तता को पुनः review/reassess कर comments प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या—564/ 12—1(2) दिनांक—10.08.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक—346/12—1 दिनांक—20.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि सी0ए0 क्षेत्र के नये स्थल का चयन किया गया है। चयनित सी0ए0 हेतु स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र व जिओ—मैप अपलोड कर दिया गया है।
3	राज्य सरकार द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित कार्य में पूर्व मार्ग जो कि 3—4 मी0 चौड़ाई का है का extation किया जाना है। परन्तु लैन्ड़ शैड्यूल से स्थिति स्पष्ट नहीं है कि क्या पूर्व निर्मित मार्ग की स्वीकृति एफ0सी0ए0, 1980 में ली गयी थी? क्या लैन्ड शैड्यूल चौड़ाई 9.00 मी0 पूर्व चौडाई के साथ है या अतिरिक्त? इस विषय पर स्थिति को स्पष्ट करने का कष्ट करें।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या—564/ 12—1(2) दिनांक—10.08.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक—346/12—1 दिनांक—20.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 03 के अनुपालन में प्रस्तावित मोटर मार्ग जोकि पूर्व में 3—4 मी0 चौड़ाई का है जिसका extation किया जाना है। लैण्ड़ शैड्यूल में पूर्ण चौड़ाई 9.00 मी0 में ली गयी है। पूर्व निर्मित मार्ग की स्वीकृति एफसीए,1980 अंर्तगत नहीं ली गयी है। लैण्ड़ शैड्यूल में

		चौड़ाई 9.00 मी0 पूर्व चौड़ाई के साथ ली गयी है।
4	ऑनलाईन पार्ट–1 के पैरा बी 2.4 में मलवानिस्तारण हेतु 0.99 है0 भूमि को वन क्षेत्र में दर्शाया गया है जबकि लेन्ड शैड्यूल एवं मलवा निस्तारण योजना के अनुसार मलवा निस्तारण हेतु नाप भूमि 0.2 है0 का चयन किया गया है। अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–564 / 12–1(2) दिनांक–10.08.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक–346 / 12–1 दिनांक–20.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 04 के अनुपालन में मार्ग निर्माण हेतु कुल 5.175 हे0 वनभूमि एवं 1.192 हे0 नाप भूमि प्रभावित हो रही है, तथा मलवा निस्तारण हेतु 0.200 है0 नाप भूमि का चयन किया गया है। पूर्व में त्रुटिवश ऑनलाईन पार्ट –1 के पैरा बी 2.4 में मलुवा निस्तारण हेतु 0.99 है0 भूमि को वन क्षेत्र के अंकित कर दिया गया था। पूर्व में डाटा ऑनलाईन अंकित करते समय त्रुटिवश भूमि क्षेत्रफल कम दर्शाने के कारण वर्तमान में पैरा बी0 2.4 component wise Breakup में डाटा दर्शाने में ऑनलाईन पोर्टल में डाटा न लेने के कारण केवल रोड components के भूमि का विवरण अंकित किया गया है। मलवा निस्तारण हेतु 0.200 है0 नाप भूमि का चयन किया गया है, जिसे ऑनलाईन अंकित किया जाना संभव नही हो पा रहा है। संलग्न लैण्ड़ शैड्यूल में दर्शायी गयी जानकारी सही है।
5	प्रस्तावति रोड़ alignment की neareast PAS से दूरी 1.6 किमी0 है जिसके लिए यद्यपि CWLW द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त परियोजना के लिये WL clearance की आवश्यकता नहीं है परन्तु उक्त मार्ग के बनाये जाने से wild life पर कोई adverse impact है या नहीं तथा किसी तरह के animal passage plan की आवश्यकता है या नहीं को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–564 / 12–1(2) दिनांक–10.08.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक–346 / 12–1 दिनांक–20.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त संख्या–05 का अनुपालन में उक्त मोटर मार्ग का समनेखन पूर्व से मौजूद कच्चे मार्ग के समरेखण पर ही प्रस्तावित किया गया है, जिससे वन्यजीव पर कोई adverse impact प्रतीत नहीं होता है। तथा उक्त परियोजना में प्रभावित क्षेत्र की भगौलिक स्थिति को देखते हुये वन्य जीवों हेतु किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है।(प्रमाण पत्र संलग्न)(संलग्न–05)

अतः प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–564 / 12–1(2) दिनांक–10.08.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक–346 / 12–1 दिनांक–20.07.2022 द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

27/8/22

(एस0एस0रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– / FP/UK/ROAD/67235/2021 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–564 / 12–1(2) दिनांक–10.08.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड़, लो0नि0वि0, अस्कोट, पिथौरागढ़।।

(एस0एस0रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,उत्तराखण्ड, देहरादून।